प्रेस नोट 01- दिनांक 19.07.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दहेज हत्ये के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.07.2024 को वादी मुकदमा श्री अजय कुमार रैदास उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र रामबाबू नि0 कुर्मापुर थाना अचलगंज उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीरी सूचना दी गई कि अभियुक्त गिरीश चन्द्र पुत्र राकेश नि0 ग्राम मदऊखेड़ा थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष द्वारा वादी की बहन पुष्पा उम्र करीब 24 वर्ष से अतरिक्त दहेज की मांग करना तथा मांग पूरी ना होने पर उसे प्रताड़ित करना जिस से क्षुब्द होकर वादी की बहन द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी | प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 0438/2024 धारा 85/80 भारतीय न्याय संहिता व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 19.07.2024 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वांछित अभियुक्त गिरीश चन्द्र पुत्र राकेश नि0 ग्राम मदऊखेड़ा थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष को गदनखेडा चौराहे से गिरफ्तार कर जिला कारागार उन्नाव भेजा गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. गिरीश चन्द्र पुत्र राकेश नि0 ग्राम मदऊखेड़ा थाना कोतवाली उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 अरविन्द गुप्ता

हे0का0 अजीत कनौजिया

प्रेस नोट 02- दिनांक 19.07.2024

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव।

UNNAO POLICE

पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.07.2024 को प्रार्थिनी सफीकुन पत्नी अब्दुल खालिक मोहल्ला तोपखाना कस्बा व थाना पुरवा जिला उन्नाव द्वारा थाना पुरवा पर तहरीरी सचना दी गई कि प्रार्थिनी ने अपनी पुत्री हिना की शादी ग्राम पारा थाना मौरावां जिला उन्नाव के मो आसिफ पुत्र मो युसूफ उर्फ मुन्ना के साथ किया था। प्रार्थिनी के दामाद नशे का आदी है और शुरु से ही प्रार्थिनी की पुत्री को प्रताड़ित करता रहा है। प्रार्थिनी की पुत्री हिना अपने पति मो आसिफ से परेशान होकर प्रार्थिनी के घर बगल में किराये का मकान लेकर रह रही थी। दिनांक 04.07.2024 को सुबह 8 बजे पुत्री हिना के घर आया और जावेजा गन्दी गन्दी गालियां देने लगा तथा बाद में मो आसिफ रात्रि में किसी समय पुत्री के घर आया और दो बच्चो को कमरे में बन्द कर दिया और पुत्री हिना की हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 103(1)/127 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 19.07.2024 को थाना पुरवा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मो0 आसिफ पुत्र मो0 युसुफ खान उर्फ मुन्ना नि0 पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष को बुद्धीलाल साहू विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

मो0 आसिफ पुत्र मो0 युसुफ खान उर्फ मुन्ना नि0 पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

प्र0नि0 श्री कुंवर बहादुर सिंह

व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव

आरक्षी मुकेश कुमार

आरक्षी वीरेन्द्र सागर

प्रेस नोट 03- दिनांक 19.07.2024

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव।

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.04.2024 को थाना गंगाघाट क्षेत्रांतर्गत शारदा नगर में 1. रवी पुत्र राजेन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष 2. शिवा पुत्र राजेन्द्र उम्र करीब 26 वर्ष नि0गण उपरोक्त को खुद के ऊपर पानी डालने का विरोध करने पर पड़ोस मे ही रहने वाले द्वितीय पक्ष 1. रोहित रावत पुत्र स्व0 सरजू व तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीटा गया। जिसमें शिवा उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 183/24 धारा 323/504/341/308 भा0दं0वि0 बनाम रोहित उपरोक्त व तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 307/506 भादं0वि0 की बढ़ोत्तरी कर दिनांक 13.04.2024 को अभियुक्त रोहित पुत्र सरजू निवासी शारदा नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। दौराने इलाज घायल शिवा उपरोक्त कि दिनांक 27.04.2024 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भा0दं0वि0 की वृद्धि की गई। आज दिनांक 19.07.2024 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बब्लू पुत्र भागीरथ निवासी शारदा नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को दुर्गा मन्दिर शुक्लागंज के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता- बब्लू पुत्र भागीरथ निवासी शारदा नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. निरीक्षक रामप्रकाश
2. हे0का0 नीलेश वर्मा
3. का0 मनोज पलावत